न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्रीमति नीतू मीणा (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 236/2025

1. पांचूराम उर्फ पांचू उम्र करीबन 70 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।

प्रार्थी

बनाम

1. इन्द्रा पुत्री श्रवण पत्नि हनुमान जी लागडी जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाटन तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान ।
2. नाबालिग कर्नल पुत्र गणेश सरंक्षक सरपरस्त माता सजना देवी पत्नि गणेश जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
3. गीता पुत्री मंगला पत्नि सत्यनारायण जी भडाणा जाति गुर्जर निवासी ग्राम भोगादित तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
4. गीता पत्नि रामा जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
5. गोपाल पुत्र श्रवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
6. घमला देवी पुत्री श्रवण पत्नि जयराम पोसवाल जाति गुर्जर निवासी बिंजरवाडा तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।
7. जोरावर गुर्जर पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान
8. दयाल पुत्र अमरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
9. धन्ना पुत्र अमरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
10. धर्मीचन्द पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
11. नन्दू गुर्जर पुत्री रामलाल पत्नि कैलाश बागडी जाति गुर्जर निवासी रहलाना तहसील दूदू जिला अजमेर राजस्थान ।
12. नन्दा पुत्र अमरा जाति गुर्जर निवासी ग्राग खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
13. बिरमलाल पुत्र श्रवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजगेर राजस्थान।
14. ममता पुत्री मंगला पत्नि रतन भडाणा जाति गुर्जर निवासी ग्राम भोगादित तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।
15. माया देवी पुत्री श्रवण पत्नि सत्यनारायण लागडी जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाटम तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
16. राजा पत्नि भैरू जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
17. रोडी देवी पत्नि श्रवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
18. लाली देवी पत्नि मंगला जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
19. विश्राम पुत्र भैरू जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।

नीतू मीणा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

देवी पत्नि गणेश जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

सत्यनारायण पुत्र मंगला जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

22. सुरज्ञान पुत्री अमरा पत्नि बाबूलाल ओड़ी जाति गुर्जर निवासी ग्राम पेडीभाटा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
23. सांवरलाल पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
24. राजू पुत्र महावीर जाति दरोगा निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
25. सत्यनारायण पुत्र महावीर जाति दरोगा निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
26. भूरी देवी पुत्री महावीर पत्नि छितर दरोगा जाति दरोगा निवासी ग्राम गुण्डोली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
27. काना पुत्र किशना जाति दरोगा निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
28. शिवराज पुत्र किशना जाति दरोगा निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
29. नन्दू देवी पत्नि छीतर जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
30. मूली पत्नि सुरजमल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
31. रुकमा पुत्री छीतर जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
32. रेखा पुत्री छीतर पत्नि छोटू खटाणा जाति गुर्जर निवासी चान्दणा की ढाणी (सरगांव) तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
33. रामकरण पुत्र सुरजमल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
34. रामेश्वर पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
35. हरि पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
36. कानाराम पुत्र लादूराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
37. हीरा देवी पत्नि लादूराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
38. भू-धारी तहसीलदार तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर

दिनांक 06.05.2026

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री रामदेव गुर्जर के द्वारा अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी कि खातेदारी की आराजी ग्राम खंडाच पटवार हल्का खंडाच तहसील

नीतू मीना
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

गढ़ जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 370 रकबा 3.1794 र भूमि है जिसमें प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात कि चतुर्थ सीमा निम्न प्रकार से है एवं चतुर्थ सीमा में काबिज काश्त अधिकार अभिलेख में इन्द्राज खातेदारो को प्रार्थना पत्र मे पक्षकार संयोजित किया जा रहा है कि उत्तर :– खसरा नम्बर 354 गै०मु०रास्ता, दक्षिण :– खसरा नम्बर 381 (सरकारी भूमि), पूर्व :– खसरा नम्बर 372 (अप्रार्थी संख्या 1 से 23 की भूमि), पश्चिम खसरा नम्बर 368 (अप्रार्थी संख्या 36 व 37) खसरा नम्बर 1023/369 (अप्रार्थी संख्या 24 से 28 की भूमि) खसरा नम्बर 369 (अप्रार्थी संख्या 24 से 26) खसरा नम्बर 386, 383 (अप्रार्थी संख्या 29 से 35)। उपरोक्त सीमा मध्य स्थित कृषि भूमि उपरोक्त सीमा मध्य के स्थित है जो संलग्न नजरी नक्शा / राजस्व ट्रेस के अनुसार प्रार्थना पत्र में चतुर्थ सीमा में स्थित खातेदारान को पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थी की आराजी ग्राम खंडाच पटवार हल्का खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है उपरोक्त वर्णितानुसार एकल खातेदारी की आराजीयात है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 37 द्वारा आये दिन सींव (सीमा) को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 37 एवं परिवारजन के द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि की नींव–सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थी की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी काफी परेशान है। प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 37 द्वारा आये दिन प्रार्थी की आराजी की मेड़, सींव, नींव को लेकर विवाद उत्पन्न करके प्रार्थी की आराजी में ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा हो गये। तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान बाबत् प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.06.2025 को सीमाज्ञान अप्रार्थी संख्या 36 के निर्देशानुसार किया गया है पटवारी हल्का द्वारा किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 37 एवं उनके परिवारजन के द्वारा सीमा चिन्ह (मेड़) को हटाते हुए प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में ब्लात अतिचार करने पर आमादा हो जाते है। जिससे प्रार्थी की आराजी में पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है चूंकि प्रार्थी एवं मौके पर बार–बार आकर अप्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक कृत्य को रोका जाना संभव नहीं है। इस कारण प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हुआ है। जिससे सीमाओं का विवाद समाप्त हो सकता है एवं सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो इस कारण से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 37 आपस में पड़ौसी खातेदार है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 37 एवं उनके परिवारजन के द्वारा बिजाई, बुवाई के दिनो में प्रार्थी की सींव, मेड़ को उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थी की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर उतारू है। जिससे प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार काफी परेशान है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में अपनी स्वयं कि आराजी में चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करवाने हेतु सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, प्रार्थना पत्र में सभी चतुर्थ सीमा में स्थित पडौसी खातेदारान की वस्तुस्थिती का वर्णन किया गया है एवं पक्षकार संयोजित किया गया है। इस कारण प्रार्थी द्वारा धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित शर्तों कि व नियमो कि पालना करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण दिनांक 12.09.2025 को उत्पन्न हुआ अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर मेड़, सींव, नीव को लेकर विवाद उत्पन्न किया तब प्रार्थी की आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2025 को पटवारी हल्का द्वारा किया गया हैं। जिसके अनुसार प्रार्थी काबिज काश्त है पंरतु अप्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान से असंतुष्टी जाहीर कि गई हैं। अप्रार्थीगण अवैधानिक रूप से आराजी में नींव, सींव, मेड़ को लेकर विवाद करने से एवं प्रार्थी की आराजी में मेड़, सींव, नींव को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ एवं नींव, सींव से सम्बन्धित विवाद उत्पन्न होने से प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करके अधिवक्ता से सम्पर्क कर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

क प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। तब से प्रार्थना पत्र कारण निरन्तर जारी है। इसलिए द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है तब से कारण निरन्तर जारी है। अप्रार्थी संख्या 38, भू–धारी होने से आवश्यक पक्षकार है माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना करने से पक्षकार संयोजित किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 37 प्रार्थी की आराजी के पड़ौसी खातेदार होने से इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है एवं खसरा नम्बर 372 में खातेदार रतनी पत्नि अमरा, व सोनकी पत्नि लक्ष्मण फौत होने से उसके विधिक वारीसान पुर्व से जमाबन्दी में इन्द्राज होने से पक्षकार संयोजित है एवं खसरा नम्बर 369, 1023/369 में खातेदार महावीर के फौत होने से प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 24 से 26 विधिक वारीसान होने से पक्षकार संयोजित है, एवं खसरा नम्बर 1023/369 में कंचन पत्नि किशना के फौत होने से उसके विधिक वारीसान पक्षकार संख्या 24 से 28 को पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से श्रवणाधिकार प्राप्त है एवं प्रार्थना पत्र में मियाद जैसा प्रश्न निहित नहीं है एवं प्रार्थना पत्र पर उचित न्याय शुल्क चस्पा है एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पारित निर्णय के पश्चात् कमिश्नर नियुक्ति की विधिक शुल्क जमा करवाने हेतु प्रार्थीगण तैयार व तत्पर है। प्रार्थी कि एकल खातेदारी कि आराजी ग्राम खंडाच पटवार हल्का खंडाच तहसील किशनगढ के खसरा नम्बर 370 रकबा 3.1794 हैक्टेयर भूमि का नजरी नक्शा/राजस्व ट्रेस / जमाबन्दी के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी करने के प्रार्थी के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.09.2025 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। दिनांक 06.05.2026 तक भी बावजूद तलबी के अनुपस्थित रहने से दिनांक 06.05.2026 को अप्रार्थी संख्या 01 से 37 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 06.05.2026 को अप्रार्थी संख्या 38 पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि यदि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एवं नक्शा के अनुसार वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
3. अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने तथा पैरोकार सरकार द्वारा सहमति देने के कारण दिनांक 06.05.2026 को वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम खंडाच पटवार हल्का खंडाच तहसील किशनगढ स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 370 रकबा 3.1794 हैक्टेयर का हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 26.06.2025 को सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 370 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होने से वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी हैं, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू.राज. अधि. को स्वीकार किया जाना न्यायौचित है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू.राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार किशनगढ़ को कमिश्नर फीस रूपये 2000/– अक्षरे दो हजार रू0 तय कर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जातें हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ स्थित खसरा संख्या 370 रकबा 3.1794 हैक्टेयर भूमि का दोनो पक्षों की उपस्थिति में नाप चौप कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर मौका

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

प्रस्तुत करे। तहसीलदार किशनगढ को कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जाते है कि [illegible] द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा करवाने के उपरान्त समस्त पडोसी खातेदारान को सूचना त्र जारी करने के उपरान्त मौके पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें । पत्थरगढी की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की बेदखली अथवा कब्जो छुडवाने से संबंधित कार्यवाही नहीं करें। यदि मौके पर प्रार्थी की भूमि अथवा निकटवर्ती राजकीय भूमि पर आंशिक या पूर्ण भाग पर किसी अन्य का कब्जा हो तो मौका पर्चा में इसका उल्लेख करते हुये प्रार्थी को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सूचित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

नीतूमीना
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	राजस्व वाद पत्र संख्या 236 / 2023 उनवान पांचूराम बनाम इन्द्रा	
06/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 02, 20, 24, 25, 26, 30, 33 के रजि. डाक से तामील शा. मि। प्रा. पत्र में अप्रार्थी सं. 01 से 37 को तामील हो चुकी है, किन्तु वे अनुपस्थित है अतः अप्रार्थी 01 से 37 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी 38 ने अनापत्ति जाहिर की। वकील प्रार्थी की प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 LR Act पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़	राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नक्शे के अनुसार वादग्रस्त भूमि की प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावे तो अप्रार्थी 38 को कोई आपत्ति नहीं है। पै. सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व वाद संख्या........../.......... ....उनवान..........बनाम..........
19/1/2026	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो [illegible] द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा के समक्ष दि 13/5/2026 को पेश हो।
13/5/26	पत्रावली पेश हुई ~~[illegible]~~ पीठासीन अधिकारी [illegible] में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते जवाब दिनांक 20/5/26 को पेश हो।
20/5/26	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि 5/6/2026 को पेश हो।
5/6/26	पत्रावली पेश हुई वकील हड़ताल पर हैं/ पीठासीन अधिकारी [illegible] में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते जवाब/बहस दिनांक 12/6/26 को पेश हो।
12/6/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप./अप्रार्थी सं. 01 से 29 को तामील हो चुकी है किन्तु वे अनुपस्थित हैं अतः अप्रार्थी 1 से 29 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। [illegible] सरकार ने अनापत्ति जारी की। वकील प्रार्थी की ओर से पत्र 111/128 LR Act पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से टंकण पत्रावली के शा. मि. पत्रावली फैसल शुदा दाखिल दफ्तर हो। तहसीलदार [illegible] [illegible] अनुसार [illegible] [illegible] पटवारी की [illegible] तो [illegible] को कोई आपत्ति नहीं है 12-6-26 WP उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्रीमति नीतू मीणा (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 237/2025

1. गजेन्द्र कुमार सेन पुत्र स्व० हनुमान जाति नाई
2. गणेश लाल सेन पुत्र स्व० हनुमान जाति नाई
3. गोरी शंकर सेन पुत्र स्व० हनुमान जाति नाई
1. पवन कुमार सेन पुत्र स्व० हनुमान जाति नाई
2. मोरा पत्नि स्व० हनुमान जाति नाई

सर्व निवासीगण ग्राम काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान — प्रार्थीगण

वनाम

1. कमला देवी पत्नि पाबूलाल जाति नाई
2. नाबालिग अदिती सैन पुत्री जगदीश संरक्षक माता मंजू देवी जाति नाई
3. नाबालिग कृष्णा सैन पुत्री जगदीश संरक्षक मात्रा मंजू देवी
4. नाबालिग खुशाल सैन पुत्री जगदीश संरक्षक माता मंजू देवी जाति नाई
5. गोगा देवी पत्नि धन्नाराम जाति नाई काढ़ा तह किशनगढ जि. अजमेर
6. धन्नालाल पुत्र पाबूलाल, जाति नाई
7. नटवरलाल पुत्र रामरतन जाति नाई
8. ना. नन्दनी सैन पुत्री जगदीश संरक्षक माता मंजू देवी जाति नाई
9. नारायण पुत्र रामरतन जाति नाई
10. नाबालिग मुकेश पुत्र गोविन्द संरक्षक सुरज्ञान जाति नाई
11. मंजू देवी पत्नी स्व. जगदीश जाति नाई
12. मुन्नी पुत्र गोपाल जाति नाई
13. मनीषा पुत्र गोपाल जाति नाई
14. रामदेवी पत्नी गोपाल जाति नाई
15. लाली पुत्री पाबूलाल जाति नाई
16. संतोष पुत्री गोपाल जाति नाई
17. संतोष पुत्र पाबूलाल जाति नाई
18. सुनीता पुत्री गोपाल जाति नाई
19. नाबालिग सुमन पुत्र गोविन्द संरक्षक सुरज्ञान नाई
20. सुरज्ञान पत्नि गोविन्द जाति नाई
21. सुरेन्द्र पुत्र गोविन्द संरक्षक सुरज्ञान जाति नाई
22. सांवरा पुत्र भागीरथ जाति नाई
23. सायरी पुत्र पाबूलाल जाति नाई

नीतू मीणा
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

4. सोनी पुत्री पाबूलाल जाति नाई
सोराज पुत्र पाबूलाल जाति नाई
26. ममता देवी सैन पत्नि नारायण लाल सैन
27. गोगा देवी पत्नी धन्नाराम जाति नाई
28. शिवराज पुत्र पाबूराम जाति नाई
29. सुरज्ञान देवी पत्नी गोविन्द जाति नाई
30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 मू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री नारायण लाल सैन एवं
श्री विमल किशोर तिवाडी

दिनांक 19.05.2026

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री नारायण लाल सैन के द्वारा अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 मू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व, आधिपत्य, कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम काढ़ा, पटवार हल्का बालापुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरणा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खाता संख्या नया 362 के खसरा संख्या 634 क्षेत्रफल 2.4270 हैक्टेयर किस्म बंजर 2 है। उक्त कृषि भूमि सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम सहखातेदारी में दर्ज है एवं प्रार्थीगण के ही कब्जा व उपयोग उपमोग में चली आ रही है। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित खातेदारी की भूमि के खसरा नम्बर 634 के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण (चारो दिशाओं) में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 29 व राज. सरकार की भूमि स्थित है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि का राजस्व रिकार्ड में विधिक रूप से नक्शा ट्रेस में मौके पर काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है तथा प्रार्थीगण ही मौके पर अपनी खातेदारी की उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे ळें प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिए प्रार्थना पत्र श्रीमान् तहसीलदार साहब, किशनगढ़ को दिया गया था जिस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का सीमाज्ञान करने के आदेश हल्का पटवारी के नाम जारी किया गया तत्पश्चात् सीमाज्ञान किया गया एवं पटवार हल्का पटवारी के द्वारा मौका पर्चा दिनांक 17.07.2025 को तैयार किया गया था। मौके पर मौका पर्चा तैयार कर उपस्थित प्रार्थी गणेशलाल व अन्य गवाहों के हस्ताक्षर करवाये गये है। उक्त सीमाज्ञान से प्रार्थी–गणेशलाल सन्तुष्ट नहीं हुआ। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि का उपयोग उपमोग करके कृषि कार्य करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 29 के मध्य आये दिन सींव, मेड़ (सीमा) को लेकर विवाद होता रहता है एवं प्रार्थीगण को पड़ौसी खातेदार बिना किसी वजह के प्रार्थीगण को काश्त करने में में बाधा रूकावट कारित करते रहते हैं. जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है इस कारण प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त वर्णित भूमि के खसरा नम्बर 634 की भूमि की विवाद उत्पन्न होते रहते है इसलिए प्रार्थीगण की उक्त खसरा नम्बर की

नीतू मीना
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

भूमि की पत्थर गढ़ी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण निर्बाध रूप से अपनी आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कृषि कार्य करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर प्रार्थीगण जब भी हमेशा की तरह उपयोग उपभोग काश्त करते है तब प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण पड़ौसी खातेदारान के मध्य विवाद होते रहते है एवं प्रार्थीगण के द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवा लिया है जिसकी मौका रिपोर्ट दिनांक 17.07.2025 को बनायी गयी है उसके बाद भी विवाद होने के कारण प्रार्थना पत्र का कारण निरन्तर जारी है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ ळें अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 29 की भूमि प्रार्थीगण की भूमि के पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण दिशा की सीमाओ से लगती हुई स्थित होने से पडौसी खातेदार एवं काश्तकार एवं खसरा संख्या 611 गै.मु. रास्ता राज. सरकार के नाम होने से पक्षकार बनाया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 30 को राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी माननीय न्यायालय के राजस्व क्षेत्राधिकार की सीमाओं ग्राम काढ़ा पटवार हल्का बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित होने से श्रीमान् को प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त ळें प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित प्रार्थीगण की कब्जे एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम काढ़ा, पटवार हल्का बालापुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरणा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खाता संख्या नया 362 के खसरा संख्या 634 क्षेत्रफल 2.4270 हैक्टेयर किस्म बंजर 2 सम्पूर्ण प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के चारो तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड, नक्शा ट्रेस अनुसार नाप चौप करवा कर सीमाज्ञान करवा कर पत्थर गढ़ी करवाये जाने हेतु आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में प्रदान करावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.09.2025 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। दिनांक 06.05.2026 तक भी बावजूद तलबी के अनुपस्थित रहने से दिनांक 13.05.2026 को अप्रार्थी संख्या 01 से 29 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 13.05.2026 को अप्रार्थी संख्या 30 पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि यदि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एवं नक्शा के अनुसार वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
3. अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने तथा पैरोकार सरकार द्वारा सहमति देने के कारण दिनांक 06.05.2026 को वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम काढा स्थित खसरा संख्या 634 रकबा 2.4270 हैक्टेयर का हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 17.07.2025 को सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 634 के रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार होने से वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी हैं, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू.राज. अधि. को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू. राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार किशनगढ़ को कमिश्नर फीस रूपये 2000/–

नीतू मीना
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

अक्षरे दो हजार रू0 तय कर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जातें हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्राम काढा स्थित खसरा संख्या 634 रकबा 2.4270 हैक्टेयर भूमि का दोनो पक्षों की उपस्थिति में नाप चौप कर पत्थरगढी की कार्यवाही कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तहसीलदार किशनगढ को कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जातें है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा करवाने के उपरान्त समस्त पडोसी खातेदारान को सूचना पत्र जारी करने के उपरान्त मौके पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें । पत्थरगढी की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की बेदखली अथवा कब्जे छुडवाने से संबंधित कार्यवाही नहीं करें। यदि मौके पर प्रार्थी की भूमि अथवा निकटवर्ती राजकीय भूमि पर आंशिक या पूर्ण भाग पर किसी अन्य का कब्जा हो तो मौका पर्चा में इसका उल्लेख करते हुये प्रार्थी को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सूचित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 12.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की तामील में जारी हुए
	C.No. 144/2024 अनिता V/S सरकार	
10/9/25	पत्रावली पेश हुई। तलबिन पक्षकार उप. । वकील अर्थी ने दस्तावेज पेश करने हेतु समय चाहा अतः पत्रावली वास्ते दस्तावेज पेशी दिनांक 29/10/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़	
29/10/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप. पीठासीन अधिकारी [illegible] में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते दस्तावेज पेशी दिनांक 23/12/25 को पेश हो।	
23/12/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप. पीठासीन अधिकारी [illegible] में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते दस्तावेज पेशी दिनांक 01/1/26 को पेश हो।	
01/1/26	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप. पीठासीन अधिकारी [illegible] में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते दस्तावेज पेशी दिनांक [illegible] को पेश हो।	
	C.No. 144/2024 अनिता / TDR	
06/5/26	वकील प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र अधि. [illegible] पेश कर [illegible] पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी को प्रा. पत्र द्वारा 136 LR Act पर सुना गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर पत्रावली में शा. किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नथी दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नीतू मीणा (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 144/2024

1. श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह जाती राजपुरोहित उम्र बालिग निवासी जैन मंदिर के पास, मैन रोड, शिवाजी नगर, मदनगंज तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

—प्रार्थीया/वादीया

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान ।

—अप्रार्थी / प्रतिवादी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 मु.राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री अभिषेक सिंह

दिनांक 6/5/2026

1. संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि जरिये अधिवक्ता वादीया/प्रार्थीया की ओर से निवेदन किया कि वादीया/प्रार्थीया की औधोगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि वाके ग्राम उदयपुर कलां तहासील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान के खसरा संख्या 1002/194 रकबा 0.4045 हैक्टेयर अर्थात 4046.72 वर्ग मीटर की स्थित है। जिसका विवरण निम्नांकीत अनुसार है कि पूर्व में ए.डी.ए भूमि / सरकारी भूमि, पश्चिम में 40 फीट रोड, उत्तर में खसरा सं. 194/1 जिसके नवीन खसरा सं. 968/194, दक्षिण औधोगिक रूपान्तरित खसरा सं. 920/194, इस प्रकार अपरोक्त वर्णित आद्यौगिक रूपान्तरीत भूखण्ड का सीमा विस्तार पूर्व दक्षिण में 131.8 व 78.1 फीट, पश्चिम में 190.4, उत्तर में 230.5 व दक्षिण में 189 इस प्रकार उपरोक्त भूमि का क्षेत्रफल 4046.72 वर्ग मीटर अर्थात 0.4045 हैक्टेयर है। जिसको अधिक स्पष्ट किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न मानचित्र अथवा नजरी नक्शा में ए, बी, सी, डी व ई के मध्य दर्शाया गया है. जो मानचित्र परिशिष्ट "अ" है जिसे वाद पत्र के साथ ही पढ़ा व समझा जायें। उक्त आद्यौगिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त भूखण्ड के नाम से उल्लेखित किया गया है। उपरोक्त वादग्रस्त औधोगिक रूपान्तरित भूखण्ड पूर्व में कृषि भूमि थी जिसके पुराना खसरा सं. 194 रकबा 8 बीघा 10 बीस्वा भूमि किस्म बाराणी सोयम में से 2 बीघा 10 बीस्वा भूमि प्रार्थीया के पति सुरेन्द्र सिंह य छगनलाल मालाकार ने पूर्व विक्रेता रामाकिशन माली पुत्र श्री गोविंद माली निवासी उदयपुर कलां से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था । जो विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय किशनगढ़ के यहां दिनांक 5/6/2013 को पंजीबद्ध किया गया । बाद क्रय के वादीया

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

/ प्रार्थीया के पति सुरेन्द्र सिंह एंव छगनलाल व अन्य खातेदारगण ने उक्त वर्णित खसरा संख्या 194 रकबा 8 बीघा 10 बीस्वा का बटवारा आपसी सहमति से कार्यालय तहसीलदार के यहा प्रस्तुत होकर विभाजन करवाया गया। तत्पश्चात उक्त मूल खसरा सं. 194 रकबा 8–10–00 का तहसीलदार किशनगढ़ के आदेश कमांक/बंटवारा/ 13/310 दिनांक 9/9/2013 के आदेशानुसार प्रार्थीया के पति सुरेन्द्र सिंह एव छगनलाल को नवीन खसरा सं. 194/2 रकबा 2–10–00 बीस्वा भूमि प्राप्त हुई। वादीया/प्रार्थीया के पति सुरेन्द्र सिंह व छगनलाल मालाकार द्वारा उक्त विभाजन पश्चात उपरोक्त वर्णित विभाजित शुदा भूमि जिसके विभाजन पश्चात नवीन खसरा सं. 194/2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि को औधोगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाने हैतु आवेदन कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ के यहा किया गया, जिस पर नियमानुसार कार्यावाही की जाकर नगर परिषद, किशनगढ द्वारा प्रतिफल स्वरूप प्रीमीयम राशि एवं अन्य राशि कोष में प्राप्त कर उपरोक्त खसरा सं. 194/2 रकबा 2–10–00 बिस्वा कृषि भूमि को औधोगीक प्रयोजनार्थ हैतु रूपान्तरीत कर पट्टा विलेख/विक्रय पत्र सं. 57 दिनांक 15/05/2014 को वादीया/प्रार्थीया के पति व छगनलाल के पक्ष में जारी किया गया। उक्त पट्टा विलेख का पंजियन उप पंजियक कार्यालय किशनगढ के यहा दिनांक 18/5/2014 को पंजिबद्ध किया गया। तत्पश्चात पूर्व विक्रेता छगनलाल मालाकार द्वारा उक्त भूखण्ड में निहित 1/2 हिस्सा भूमि का अन्तरण जरिये विकय प्रलेख दिनांक 30/12/2015 को श्री जब्बर सिंह को किया गया, उक्त जब्बर सिंह द्वारा स्वंय का निहित 1/2 हिस्सा भूमि का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा वादीया को दिनांक 15/10/2018 को किया गया। इसी प्रकार वादीया के पति सुरेन्द्र सिंह का स्वय का निहित 1/2 हिस्सा भूमि का अन्तरण जरिये उपहार प्रलेख के जरिये वादीया को दिनांक 19/9/2019 को किया गया। इस प्रकार से उक्त आद्यौगिक भूखण्ड पर वादीया/ प्रार्थीया का ही एकल स्वामित्व आधिपत्य चला आ रहा है, जिस पर वादग्रस्त भूमि के मौके पर चारदीवारी एव तारबंदी हो रखी है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में पड़ौसी खातेदार द्वारा दिनांक 19.03.2024 को वादीया के पति के साथ उपरोक्त भूखण्ड की चौडाई के बाबत वाद–विवाद उत्पन्न होने पर वादीया / प्रार्थीया द्वारा राजस्व मानचित्र / नक्शा की ऑनलाईन प्रति निकलवाकर आर्किटेक्चर से नाप पता करवाया। जिससे वादीया/प्रार्थीया को जानकारी में आया की नवीन नक्शा शीट में वादीया/प्रार्थीया की तरमीम शुदा भूमि की तरमीम जो पूर्व में सही थी परंतु DLRMP योजना के अन्तर्गत वर्तमान राजस्व नक्शा में गलत रूप से तरमीम कर दी गई है जो की पूर्व के राजस्व नक्शा / मानचित्र के हिसाब से सही नहीं होकर पूर्णतया गलत है जिसकी पुष्टी वादीया / प्रार्थीया द्वारा ग्राम उदयपुर कलां के पटवारी से भी जांच करवाकर की गई, वर्तमान समय में DLRMP योजना के अन्तर्गत नवीन राजस्य मानचित्र / नक्शा शीट तैयार कर बनाई गयी, जिसमें वादीया / प्रार्थीया की स्वामित्व की भूमि की पूर्व में तरमीम जो सही थी, जिसको त्रुटीयुक्त गलत तरिके से दर्शाया जाकर गलत रूप से तरमीम कर दी गयी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

है। जिस कारणवश वादीया / प्रार्थीया के हित निरंतर रूप से प्रमावित हो रहे है। वादीया/प्रार्थीया की उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि जिसके वर्तमान में खसरा सं. 1002/194 है जो पूर्व में खसरा सं. 194/2 व उक्त से पूर्व 194 थे के वर्तमान उपरोक्त वर्णित योजना के तहत राजस्व मानचित्र / नक्शा शीट में पश्चिम दिशा कि तरफ उत्तर की ओर लगमग 6 मीटर भूमि की चौडाई कम कर दी गयी है, जबकी विमाजन एवं भू–रूपान्तरण में प्रस्तुत राजस्व मानचित्र के अनुसार वादीया / प्रार्थीया की पश्चिम दिशा का नाम 190. 4 वर्गफिट अर्थात 58 वर्गमीटर है जबकी वर्तमान राजस्व मानचित्र में पश्चिम दिशा का नाप उत्तरी दिशा की तरफ से 52 वर्गमीटर कर दी गई है जबकी वास्तविक नाप पश्चिम दिशा का 58 वर्गमीटर अर्थात 190.4 वर्गफीट है। उक्त प्रकार से राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण पश्चिम दिशा का उत्तर की तरफ से लगमग 6 वर्गमीटर भूमि कम की गई है। जो सदमाविक त्रुटि, दुरस्त होकर सर्वघा सुधार किये जाने योग्य है। उपरोक्त वर्णित तथ्यो को मध्य नजर रखते हुये राजस्व मानचित्र / नक्शा शीट में हुई त्रुटि की दुरस्ती एवं संशोधित किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। राजस्व नक्शा शीट में उपरोक्त कम की गई 6 वर्गमीटर भूमि को पुनः पूर्व की मांति सुनिश्चित तरिके से वादीया/प्रार्थीया की पश्चिम दिशा के नाप में जोडा जाकर राजस्व नक्शा रिकोर्ड पूर्व की मांति के अनुसार दुरस्ती कर संशोधित किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी, वादग्रस्त भूमि का वर्तमान त्रुटियुक्त एवं गलत तरिके से तरमीम राजस्व रिकोर्ड के नक्शे के अनुसार वादग्रस्त भूमि के अडौस–पडौस की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान एंव नाप चौक नही करे एंव करावें इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादी एंव इसके वैघ प्रतिनिधि, असाईनिज, उत्तराधिकारी आदि समस्त को पाबंद फरमाया जाने का उचित आदेश पारित करने की कृपा करें। वाद आवश्यक प्रकृति का होने से वाद के साथ पृथक से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र बाबत वाद हेतुक सर्वप्रथम पडौसी खातेदार द्वारा दिनांक 19.03.2024 को प्रार्थीया व उसके पति के साथ उपरोक्त भूखण्ड की चौडाई के बाबत वाद–विवाद उत्पन्न होने पर उत्पन्न हुआ, जिस पर वादीया / प्रार्थीया द्वारा राजस्व मानचित्र/नक्शा की आनलाईन प्रति निकलवाकर आर्किटेक्चर से नाप पता करवाया। जिससे वादीया / प्रार्थीया को जानकारी में आया की नवीन नक्शा शीट में वादीया/प्रार्थीया की तरमीम शुदा भूमि की तरमीम जो पूर्व में सही थी परतु उक्त योजना के अन्तर्गत वर्तमान राजस्व नक्शा में गलत रूप से तरमीम कर दी गई है जो की पूर्व के राजस्व नक्शा / मानचित्र के हिसाब से सही नहीं होकर पूर्णतया गलत है जिसकी पुष्टी वादीया/प्रार्थीया द्वारा ग्राम उदयपुर कलां के पटवारी से भी जांच करवाकर की गई जिससे भी वाद कारण उत्पन्न हुआ तत्पशचात वादीया / प्रार्थीया द्वारा उपरोक्त राजस्व नक्शा शीट / मानचित्र में दुरस्ती हेतु आवेदन किया गया, जिस पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक [illegible].04.2024 को जांच रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार महोदय के यहां प्रस्तुत की गई पंरतु उक्त प्रकरण तहसीलदार की शक्तियों के अन्तर्गत नहीं होने से शुद्धि किया जाना संभव नही होने

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

के कारण से भी वाद कारण उत्पन्न हुआ, जो वाद कारण निरंतर उदभुत व उत्पन्न होकर आज दिन सत्त रूप से जारी है। कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र/वाद पत्र पर उचित न्याय शुल्क चस्पा है। प्रतिवादी के विरूद्ध किसी भी प्रकार का वाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी का दो माह का नोटिस देकर अवधि के पश्चात वाद पेश किया जाता है तो वाद पेश करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जावेगा. इस कारण धारा 80(2) सी.पी.सी के तहत प्रार्थना पत्र पृथक से पेश कर यह वाद पेश किया जा रहा है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र आप श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से आपको श्रवण करने का अधिकार है। वाद पत्र/प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए DLRMP योजना के अन्तर्गत नवीन राजस्व मानचित्र/नक्शा शीट में वादीया/ प्रार्थीया की भूमि की गलत तरिके से तरमीम एंव विभाजन होने से वादीया/प्रार्थीया की पश्चिम दिशा का नाप उत्तर की तरफ से लगभग 6 वर्गमीटर कम कर दी गई है को सुधार एंव दुरस्त किया जाकर नवीन संशोधन राजस्व नक्शे में पूर्व की भांति किया जाने के उचित आदेश न्यायहित में प्रदान करने की कृपा करें। वादग्रस्त भूमि का वर्तमान त्रुटियुक्त एंव गलत तरिके से तरमीम राजस्व रिकोर्ड के नक्शे के अनुसार वादग्रस्त भूमि के अडौस पडौस की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान एंव नाप चौक नही करे एंव करावें इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादी एंव इसके वैघ प्रतिनिधि, असाईनिज, उत्तराधिकारी आदि समस्त को पाबंद फरमाया जाने का उचित आदेश पारित करने की कृपा करें।

2. प्रार्थना पत्र को दिनांक 01.07.2024 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 144/2024 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार किशनगढ को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार किशनगढ द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम उदयपुरकलां का डी.आई.एल.आर.एम.पी. से पूर्व का नक्शा जीर्ण शीर्ण एवं कटा फटा है तथा खसरा संख्या 194 की तरमीम प्रदर्शित नहीं हो रही है। हमारे द्वारा हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब की गई हल्का पटवारी ने उल्लेख किया कि उक्त भूमि के मूल खसरा संख्या 194 थे जिसका सहमति बंटवारा दिनांक 09.09.2013 को हुआ तथा प्रार्थी के सहखातेदार को 194/2 रकबा 02 बीघा 10 बीस्वा भूमि प्राप्त हुई। खसरा संख्या 194 का सेग्रीकेशन से पूर्व नक्शा लठ्ठा फटा हुआ है जिससे खसरा संख्या 1002/194 नक्शा लठ्ठा सम्वत 2027 में तरमीम प्रदर्शित नहीं है। मूल खसरे की बाहरी लाईन तथा खसरा संख्या 968/194 तथा 1002/194 के मध्य की लाईन में तरमीम में परिवर्तन हुआ है, प्रार्थीया की भूमि खसरा संख्या 1002/194 की पश्चिमी दिशा की भुजा को 06 मीटर छोटा कर दिया गया है, इस सीमा को 06 मीटर उत्तर की ओर बढाकर शुद्धी किया जाना उचित है।

3. दिनांक 06.05.2026 को वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद पत्र/प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए DLRMP योजना के अन्तर्गत नवीन राजस्व मानचित्र / नक्शा शीट में वादीया/ प्रार्थीया की भूमि की गलत तरिके से तरमीम एंव विभाजन होने से वादीया / प्रार्थीया की पश्चिम दिशा का नाप उत्तर की तरफ से

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

लगभग 6 वर्गमीटर कम कर दी गई है को सुधार एंव दुरस्त किया जाकर नवीन संशोधन राजस्व नक्शे में पूर्व की भांति किया जाने के उचित आदेश न्यायहित में प्रदान करने की कृपा करें।

4. हमारे द्वारा तहसीलदार किशनगढ के जवाब का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपबब्ध दस्तावेज नजरी नक्शा परिशिष्ट ए, हल्का पटवारी रिपोर्ट, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.06.2013, नगर परिषद किशनगढ द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र दिनांक 12.05.2014 के अनुसार प्रार्थीया की भूमि खसरा संख्या 1002/194 की पश्चिमी सीमा की लम्बाई 58 मीटर है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड नक्शे में उक्त की लम्बाई 52 मीटर कर दी गई है जिसे न्यायहित में शुद्ध किया जाना उचित है।

आदेश

अतः संलग्न दस्तावेजात, तहसीलदार किशनगढ की रिपोर्ट तथा वकील प्रार्थी की बहस एवं संलग्न दस्तावेज आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू.राज.अधि. स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार किशनगढ को आदेश दिये जातें है कि वे वादग्रस्त भूमि वर्तमान खसरा संख्या 1002/194 रकबा 0.4045 हैक्टेयर की वर्तमान नक्शे में तरमीम इस प्रकार करें कि खसरा संख्या 1002/194 की पश्चिम भुजा (जो खसरा संख्या 962/194 से लगायत है) की लम्बाई वर्तमान राजस्व नक्शे में परिमाप (स्केल अनुपात) के अनुसार 58 मीटर खसरा संख्या 968/194 की ओर करें, अर्थात वर्तमान राजस्व नक्शे में परिमाप के अनुसार 1002/194 की पश्चिम भुजा की लम्बाई को 06 मीटर उत्तर दिशा की ओर बढाते हुये तरमीम करें तथा उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। जमाबन्दी में रकबा पूर्वअनुसार रहेगा। आदेश की पालना में वादग्रस्त भूमि की तरमीम, आदेश की अपीलावधि के उपरान्त की जावे।

आदेश आज दिनांक 06/5/2016 को हमारे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हमारे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़